



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

दिनांक : 5/8

क्र./अका./सम्बद्धता/2017/930

प्रति,

प्राचार्य,

न्यू ईरा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,

आवास नगर, देवास।


विषय :- सत्र 2017-18 से बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश न देने बाबत।

संदर्भ :- महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/एन.ई./2017/080, दिनांक 24.07.2017.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा काउन्सलिंग में महाविद्यालय का नाम सम्मिलित नहीं किये जाने एवं विश्वविद्यालय से जारी सम्बद्धता सूची में महाविद्यालय का नाम नहीं भेजे जाने के संबंध में सूचित किया है। जिससे इस सत्र हेतु बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश होना संभव नहीं बताया गया है। इस तारतम्य में सूचित है कि, विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को भेजे गये पत्र क्रमांक/718, दिनांक 14.07.2017, को संलग्न की गई सूची में आपके महाविद्यालय का नाम क्रमांक 08 पर अंकित किया गया था, जिसमें महाविद्यालय को बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता दिये जाने की सूचना दी गई थी।

प्राचार्य द्वारा छात्रों को प्रवेश न होने की स्थिति में सत्र 2017-18 से बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित नहीं करने की सूचना दी गई है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि, महाविद्यालय के शासी निकाय का ठहराव प्रस्ताव संलग्न करें, ताकि उक्त पाठ्यक्रम का संचालन महाविद्यालय में बंद किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

आदेशानुसार


  
कुलसचिव

दिनांक : 5/8

क्र./अका./सम्बद्धता/2017/931

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
02. प्राचार्य, शा. के.पी. स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, देवास।
03. उप/सहायक कुलसचिव, लेखा/परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. समन्वयक, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपकुलसचिव(अकादमिक)

etc